Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2024/24

Number of Case C/94/ Year 2024

किशनाराम Versus श्रीराम

U/S- O9R9 C.P.C

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the C...
	हेतु पत्रावली आयन्दा दिनांक 12/3/25 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
12/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत O9 R9 R/W sec 151 CPC पर सुनी गई। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रा.पत्र मे वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए यह कथन किया गया कि वादी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी नही बताये जाने के कारण वादी न्यायालय मे तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाया अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए वादी का दावा रेस्टोर करने का निवेदन किया गया।	
	हमने मूल वाद पत्रावली, हस्तगत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के संबंध में वादी/प्रार्थी को पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक को अनुपस्थिति हेतु पर्याप्त हेतुक प्रकट करना आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि वादी को उनके पूर्व अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/24

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक), जोधपुर

Number of Case 6/24/Year 2024

किशनाराम Versus श्रीराम

U/S- O9R9 CPC

Date of Order	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	की जानकारी नहीं दी गई इस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये तथा वादी/प्रार्थी ने यह कथन किया कि वादी ग्रामीण परिवेश का गरीब किसान है अतः वादी की अनुपस्थिति को माफ करते हुए वाद रेस्टोर करने का कथन किया गया। अतः न्यायालय प्रकरण में नरम रुख अपनाते हुए मूल प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायसंगत समझते हुए तथा वादी मय अधिवक्ता द्वारा पूर्व अनुपस्थिति के संबंध में दिये गये हेतुक पर विश्वास करते हुए हस्तगत प्रा. पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत O9 R9 R/W sec 151 CPC सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। मूल वाद पुनः इसी नम्बर पर लिया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ता सूचित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होते हुए मूल वाद पत्रावली के साथ शामिल हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	